

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या-66/2018

आदेश दिनांक:-

13-03-2018

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता



~~उपस्थित:-~~

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी

:- श्री सुभाष शर्मा।

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी

:-

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को पत्रावली में कार्यालय द्वारा लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति करने हेतु तीन सप्ताह का समय दिया जाता है। यदि इस अवधि में उक्त आक्षेपों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह प्रकरण इस न्यायालय को सन्दर्भित किए बिना स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)